

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 25/2021 हिम्मतसिंह व अन्य बनाम केशवलाल वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

12/12/22

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 05.07.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण मे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2016 से निरन्तर अंतिम आदेशिका तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की अन्तरिम आदेशिका दिनांक 05.07.2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2019 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रकरण से संबधित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदिनांक तक विचाराधीन/लम्बित है। ऐसी परिस्थितियों मे न्यायिक मंशा को मदेनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा इस हेतु अपनी अनापत्ति जाहिर की गई।

प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यों पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलांट व रेस्पोजेन्ट संख्या 03 से 06 के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा सनावडा पटवार हल्का उडवादीया के खाता संख्या 368 कुल किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा के सबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौके पर विभक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की है एवं मौके पर काबिज हुए है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील एकतरफा आदेश पारित किया है। उक्त अंतरिम आदेश मे आदेश 39 नियम 03 सी. पी.सी के प्रावधानों की पालना बाबत कोई आदेश नहीं दिया गया है।

1

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 25/2021</p> <p style="text-align: center;">हिम्मतसिंह व अन्य बनाम केशवलाल वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	---	--

अपीलांटगण को जैर अपील आदेश की जानकारी होने के पश्चात अपीलांटगण द्वारा अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को करीब 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पर आजदिनांक तक सुनवाई की जाकर अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमाई जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 03 से 06 के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा सनावडा पटवार हल्का उडवादीया के खाता संख्या 368 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा के सबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील एकपक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया है।

हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य हैं, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है—

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party-*

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 25/2021</p> <p style="text-align: center;">हिम्मतसिंह व अन्य बनाम केशवलाल वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	---	--

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

- 1. a copy of the affidavit filed in support of the application.*
- 2. a copy of the plaint and*
- 3. copies of doucments on which the applicant relies, and*

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injunction was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलांट व रेस्पोजेन्ट संख्या 03 से 06 के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
शाली केम्प-बिरोही

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 25/2021</p> <p style="text-align: center;">हिम्मतसिंह व अन्य बनाम केशवलाल वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	---	--

सनावडा पटवार हल्का उडवादीया के खाता संख्या 368 कुल किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा के सबध मे प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश एकपक्षीय अंतरिम आदेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फोटोप्रति आदेशिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण मे पेशी दिनांक 05.07.2019 से 25.08.2021 तक पत्रावली में तलबी भी पूर्ण नहीं हुई। सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानुसार एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण किये जाने का विधिसम्मत कारण भी पत्रावली की आदेशिकाओ में अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के चलते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रकरण का लगभग 02 वर्षों से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है। जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। एवं सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 14/2019 मे पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओ की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तदनुसार सहायक कलक्टर रेवदर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र संख्या 14/2019 के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
शाली केम्प-सिरोही